



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022024-252374  
CG-DL-E-26022024-252374

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2024/फाल्गुन 7, 1945

No. 122]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024/PHALGUNA 7, 1945

इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 133(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (म) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना का अन्तर्रोधन, मानिटर और विगूहन करने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना का अन्तर्रोधन, मानिटर और विगूहन करने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना का अन्तर्रोधन, मानिटर और विगूहन करने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2009 के नियम 23 के उप-नियम (1) में "सुरक्षा अभिकरण" शब्दों के स्थान पर "सक्षम प्राधिकारी और सुरक्षा अभिकरण" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2(11)/2023-सीएल एवं डीजी]

संदीप चटर्जी, वैज्ञानिक जी

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 780(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th February, 2024

**G.S.R. 133(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (y) of sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Information Technology (Procedure and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information) Rules, 2009, namely:—

**1. Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Information Technology (Procedure and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Information Technology (Procedure and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information) Rules, 2009, in rule 23, in sub-rule (1), for the words “security agency”, the words “competent authority and the security agency” shall be substituted.

[F. No. 2(11)/2023-CL&DG]

SANDIP CHATTERJEE, Scientist G

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 780(E), dated the 27<sup>th</sup> October, 2009.